फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम मसूदा

श्री अरुण कुमार व अन्य बनाम नरेन्द्र मेवाड़ा व अन्य

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 128 नं. 34/2015 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/7/15	प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात है। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पडोसी है। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नहीं होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते है। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है। अन्त मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावें। हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2069-2072 मौजा देवपुरा पटवार हल्का खरवा प्रथम तहसील मसूदा के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 4897 रकबा 05-02-00, 4899 रकबा 05-18-10, 4902 रकबा 02-11-00, 4925 रकबा 05-14-00, 4927 रकबा 02-03-00 किस्म बारानी 3 भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रकार्ड होना प्रकट आया है। प्रार्थी भूमि के पत्थरगढी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के स्वीकार किये जाने योग्य है। -: आदेश :- प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कीया जाकर मौजा देवपुरा पटवार हल्का खरवा प्रथम तहसील मसूदा के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 4897 रकबा 05-02-00, 4899 रकबा 05-18-10, 4902 रकबा 02-11-00, 4925 रकबा 05-14-00, 4927 रकबा 02-03-00 किस्म बारानी 3 भूमि के पडोसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है प्रार्थी से नियमानुसार 100/- रुपये पत्थरगढी शुल्क वसूल किये जाकर राजकोष मे जमा करवाया जावे। तहसीलदार मसूदा को दो प्रतियों मे रुक्का जारी करे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करे। आदेश आज दिनांक 22/7/15 को केम्प कार्यालय हाजा पर सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.26 17:04:07 IST
Reason: SelfAttested